

Dated 12th January, 2016.

CORRIGENDUM

An advertisement for filling up one (01) post of Director, National Centre for Antarctic and Ocean Research (NCAOR), Goa was published in Employment News dated 1-7th August, 2015 inviting applications. Against that advertisement few applications have been received. The Government has decided to include deputation (including short-term contract)/absorption failing which by Direct Recruitment (on tenure) basis as the method of recruitment. The education qualification Essential and Desirable will be applicable for all the modes of recruitment. In earlier advertisement only direct recruitment (on tenure) basis was mentioned. The revised method of recruitment is as under:

Educational Qualification:

Essential

- i) Bachelor's degree in Engineering or Technology from a recognized University or equivalent or Master's degree in Physics or Chemistry or Geophysics or Geology or Oceanography or equivalent with at least first class (60%) at graduation as well as post graduation(60%) level.
- ii) 21 years (18 years with PhD) experience in research and development, survey, administration, planning, teaching (at graduate or post graduate level), supervision or training in the field Cryosphere or Oceanography. Or Marine Technology.

Desirable:

- i) PhD in any branch of Science related in the relevant field or Master's degree in Engineering or Technology from a recognized University.
- ii) Experience in policy making, planning or management related to Oceanic activities or management of projects in the field of Cryosphere or Oceanography.

Method of Recruitment: Deputation (including short-term contract)/absorption failing which by Direct recruitment (on tenure) basis.

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department
Or
(ii) with 2 (two) years 'regular' service in posts in PB-4 Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.8900/- in the parent cadre or department
Or
(i) With 3 (three) years 'regular' service in posts in PB-4 Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.8700/- in the parent cadre or department.

Note 1:-

The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization /department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years, which can be extended further upto 5 years after seeking approval of the Competent Authority as per Govt. of India norms.

The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.

Note 2:-

For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

2. Applications are invited from officer fulfilling the above eligibility and possessing educational qualification and experience. The last date of receipt of application is 21 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. The applicants may please specify if he/she wish to consider him/her for a specific method of recruitment i.e. i) deputation (including short-term contract)/absorption failing which ii) Direct Recruitment (on tenure) basis.

3. The applicants who have already applied as per advertisement dated 1-7th August, 2015 published in Employment News need not to apply again and they will be now considered as per revised method of recruitment mentioned above. However, those applicants who have applied earlier may withdraw their application if he/she does not want to consider himself/herself as per revised method of recruitment i.e. **i) deputation (including short-term contract)/absorption failing which ii) Direct Recruitment (on tenure) basis.** The Screening and Selection will be done as per the revised method of recruitment mentioned above.

4. **The method of recruitment on Direct recruitment basis will be exercised only after exhausting the method of recruitment i.e. i) deputation (including short-term contract)/absorption failing which ii) Direct Recruitment (on tenure) basis.**

Sd/-

(R K B Patel)
Deputy Secretary to the Govt. of India.

फा. सं. एमओईएस/18/4/2015-स्था.

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

पृथ्वी भवन, लोधी रोड
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 12 जनवरी, 2016

शुद्धि पत्र

राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (एनसीएओआर) गोवा के निदेशक के एक (01) पद को भरने के लिए एक विज्ञापन दिनांक 1-7 अगस्त, 2015 के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसमें आवेदन मांगे गए थे। उस विज्ञापन के संबंध में कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। सरकार ने भर्ती की पद्धति के रूप में, प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित)/आमेलन जिसमें असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा (आवधिक) को शामिल करने का निर्णय लिया है। अनिवार्य एवं वांछनीय शैक्षणिक योग्यता, भर्ती की सभी पद्धतियों पर लागू होगी। पिछले विज्ञापन में केवल सीधी भर्ती (आवधिक) आधार का ही उल्लेख किया गया था। भर्ती की संशोधित पद्धति इस प्रकार है:

शैक्षणिक योग्यता:

अनिवार्य :-

- (i) स्नातक के साथ-साथ स्नातकोत्तर (60%) स्तर पर कम से कम प्रथम श्रेणी (60%) के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री या समकक्ष अथवा भौतिकी या रसायन विज्ञान या भूभौतिकी या भूविज्ञान या समुद्र विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष।
- (ii) हिमांकमंडल अथवा समुद्र विज्ञान अथवा समुद्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, सर्वेक्षण, प्रशासन, आयोजना, शिक्षण (स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर), पर्यवेक्षण या प्रशिक्षण का 21 वर्ष (पीएचडी के साथ 18 वर्ष) का अनुभव।

वांछनीय :-

- (i) संबद्ध क्षेत्र से संबंधित विज्ञान की किसी भी शाखा में पीएचडी अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री।
- (ii) समुद्री गतिविधियों से संबंधित नीति निर्माण, आयोजना अथवा प्रबंधन या हिमांकमंडल अथवा समुद्री विज्ञान के क्षेत्र में परियोजनाओं के प्रबंधन में अनुभव।

भर्ती की पद्धति: प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित)/आमेलन जिसमें असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा (आवधिक) की जाएगी।

(क) (i) मूल कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए;

या

(iii) मूल कॉडर अथवा विभाग में वेतन बैंड-4 में 37400-67000 रुपए के साथ ग्रेड वेतन 8,900/- रुपए के पद में 2 (दो) वर्ष की नियमित सेवा के साथ

या

(iii) मूल कॉडर अथवा विभाग में वेतन बैंड-4 में 37400-67000 रुपए के साथ ग्रेड वेतन 8700 रुपए के पद में 3 (तीन) वर्ष की 'नियमित' सेवा के साथ

नोट:-

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य बाह्य-संवर्ग धारित पद में तत्कालीन प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे भारत सरकार के नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन मिलने के बाद पुनः पाँच वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक '56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए'।

नोट 2:-

प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन आधार पर नियुक्ति के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) को समदृश ग्रेड पे अथवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा सिवाय तब जब जहां सामान्य ग्रेड पे अथवा वेतनमान के साथ एक ग्रेड में एक से ज्यादा पूर्व संशोधित वेतनमान को मिला दिया गया हो और जहां इसके लाभ का विस्तार केवल उसी पद (दो) तक हो जिसके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान, बिना किसी अपग्रेडेशन के एक सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो।

2. उपरोक्त अनिवार्यता तथा शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव को पूरा करने वाले अधिकारियों से ही आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिनों तक की होगी। आवेदक कृपया स्पष्ट करें कि वे भर्ती की किस विनिर्दिष्ट पद्धति यथा i) प्रतिनियुक्ति (लघु-अवधि संविदा)/आमेलन जिसमें असफल होने पर ii) सीधी भर्ती (आवधिक) के आधार पर विचार किए जाने के इच्छुक हैं।

3. जिन आवेदकों ने 1-7 अगस्त 2015 के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार पहले से ही आवेदन दिया है उन्हें पुनः आवेदन देने की जरूरत नहीं है और उनके आवेदन पर उपरोक्त संशोधित भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा। तथापि, उन आवेदकों जिन्होंने पहले से आवेदन किया है तो अगर वे संशोधित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार i) प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित)/आमेलन जिसमें असफल होने पर (ii) सीधी भर्ती(आवधिक) के आधार पर अपने आवेदन पर विचार किए जाने के इच्छुक नहीं है अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। छानबीन तथा चयन, उपरोक्त संशोधित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

4. सीधी भर्ती के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को, i) प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा)/आमेलन जिसके असफल होने पर ii) सीधी भर्ती (आवधिक) के आधार पर भर्ती की पद्धति के असफल होने के पश्चात् कार्यान्वित किया जाएगा।

(आर.के.बी.पटेल)

उपसचिव, भारत सरकार